

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी]
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी [राजस्व] श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सुखमन्दर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 113/2021
निर्णय दिनांक :- 09.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई स्वस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -
वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 03/36 में अंकित नाम मन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रामगढिया के स्थान पर सुखमन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रामगढिया दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 09.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	—
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	—
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 417

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

दिनांक: 9/11/21

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

